रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015/कार्तिक 15, 1937
No. 691] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/ KARTIKA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

सं. 43/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि.844(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 163 (अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 70 में,-

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.06 रुपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8.24 रूपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 71 में,-

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "4.66 रूपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.02 रूपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी;

2. यह अधिसूचना 7 नवम्बर, 2015 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 354/123/2014-टीआरयू]

के कालिमुत्तु, अवर सचिव

टिप्पण : मूल असिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 163(3), तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा. का. नि. 791 (अ) 19 अक्तूबर, 2015 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 42/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख19 अक्तूबर, 2015 के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

No. 43/2015-Central Excise

G.S.R. 844(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely: -

In the said notification, in the Table,-

(i) in serial number 70,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs.7.06 per litre" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs.8.24 per litre" shall be substituted;

(ii) in serial number 71,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs.4.66 per litre" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs.7.02 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 7th day of November, 2015.

[F. No. 354/123/2014-TRU]

K. KALIMUTHU, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E) dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No.42/2015-Central Excise, dated the 19th October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 791(E) dated the 19th October, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.